कार्यवाही बैठक दिनांक 03.08.2026 नगर निगम करनाल

नगर निगम करनाल की सामन्य बैठक दिनांक 03.08.2026 (दिन सोमवार) को प्रातः 11:00 बजे नगर निगम, करनाल के प्रथम तल पर स्थित सभागार में श्रीमती रेनू बाला गुप्ता, महापौर, नगर निगम करनाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त, नगर निगम, करनाल की उपस्थिति में सम्पन्न हुई जिसमें नगर निगम, करनाल व अन्य विभागों के अधिकारियों तथा निम्नलिखित चयनित सदस्यगणों द्वारा भाग लिया गया:–

1. श्रीमती रेनू बाला गुप्ता महापौर नगर निगम, करनाल
2. श्रीमती सुदेश रानी, सदस्य वार्ड न. 1
3. श्रीमती बेबी, सदस्य वार्ड न. 2
4. श्री परमजीत सिंह, सदस्य वार्ड न. 3
5. श्री भूपेन्द्र नौतना, सदस्य वार्ड न. 4
6. श्री सुभाष चन्द, सदस्य वार्ड न. 5
7. श्री अंकित कुमार, सदस्य वार्ड न. 6
8. श्री जोगिन्द्र शर्मा, सदस्य वार्ड न. 7
9. श्री संकल्प भंडारी, सदस्य वार्ड न. 8
10. श्रीमती सुजाता अरोड़ा, सदस्य वार्ड न. 9
11. कुमारी आशया कुमार, सदस्य वार्ड न. 10
12. श्री संजीव कुमार मैहता, सदस्य वार्ड न. 11
13. श्री मोनिक गर्ग, सदस्य वार्ड न. 12
14. श्री ईश कुमार गुलाटी, सदस्य वार्ड न. 13
15. श्री अमृत लाल, सदस्य वार्ड न. 14
16. श्रीमती प्रियंका देवी, सदस्य वार्ड न. 15
17. श्रीमती रानी, सदस्य वार्ड न. 16
18. श्रीमती ममता देवी, सदस्य वार्ड न. 17
19. श्री हरजीत सिंह, सदस्य वार्ड न. 18
20. श्री राम सुधीर, सदस्य वार्ड न. 20
21. श्री गौरव नागपाल, मनोनीत सदस्य
22. श्री उमेश प्रोचा, मनोनीत सदस्य
23. श्री विशेष वर्मा, मनोनीत सदस्य

बैठक का प्रारम्भ महापौर महोदया के उद्बोधन के साथ हुआ। अपने उद्बोधन में महापौर महोदया ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई वार्ड सदस्य नगर निग्म, करनाल के अधिकारियों को विकास कार्य हेतु कोई पत्र देता है तो उसे गम्भीरता से लेते हुए उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा संबंधित वार्ड सदस्य को उस कार्य की फीज़िब्लिटी अथवा नॉन–फीज़िब्लिटी बारे अवगत करवाया जाए। संबंधित कार्यकारी अभियंता इस कार्य हेतु पूर्णतः पाबन्द रहेंगे। यह भी निर्देश दिए गए कि प्रत्येक वार्ड सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके वार्ड में विकास कार्यों की क्या स्थिति है तथा विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट बारे भी उन्हें अवगत करवाया जाए। महापौर महोदया द्वारा माननीय सदन को यह भी अवगत करवाया गया कि आज की बैठक में श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक घरौण्डा एवं माननीय स्पीकर, विधानसभा हरियाणा भी भाग ले रहे हैं, इसलिए माननीय स्पीकर द्वारा दी जाने वाली हिदायतों व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन पर सार्थक रूप से अमल करना सुनिश्चित करें।

इसके उपरांत श्री हरविन्द्र कल्याण विधायक घरौण्डा एवं माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा का बैठक में आगमन पर विधायक महोदय, महापौर महोदया, आयुक्त महोदया व माननीय

Scanned with CamScanner

केन्द्रीय मन्त्री के प्रतिनिधि द्वारा का स्वागत किया गया। माननीय स्पीकर द्वारा सभी वार्ड सदस्यों तथा अधिकारियों व कर्मचरियों से अनुरोध किया गया कि वह करनाल शहर के निवासी होने के नाते एक टीम की भांति करनाल शहर को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने का काम करें। उन द्वारा नगर निगम, करनाल के वार्ड सदस्यों तथा अधिकारियों की टीम के कार्य की सराहना भी की गई। यह भी सुझाव दिया गया कि बजट की प्लानिंग व एक्ज़ीक्यूशन भलिभांति प्रकार से की जाए ताकि आमजन को इसका पूर्ण लाभ मिले। माननीय स्पीकर महोदय द्वारा सभी वार्ड सदस्यों, अधिकारियों व कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वह सभी एक टीम की भांति कार्यरत रहें तथा सकारात्मक रूप से कार्य करते हुए शहर को स्वच्छता, विकास तथा अन्य प्रकार के मामलों में और ऊंचाईयों पर ले जाएं ताकि आमजन को इसका पूर्ण लाभ मिल सके।

इसके उपरांत माननीय विधायक, करनाल द्वारा माननीय सदन के समक्ष अपने वक्तव्य में नगर निगम, करनाल को और अधिक स्वच्छ, सुन्दर तथा एक रोल मॉडल बनाने के लिए ईमानदारी व तन्मयता के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने का अनुरोध किया गया। वार्ड सदस्यों तथा आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों व प्रार्थना पत्रों का तीव्रता के साथ निपटान करना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को कोई परेशानी ना हो। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारी वार्ड सदस्यों से प्राप्त होने वाली शिकायतें गम्भीरता से लें व तय सीमा में उनका निपटान करके उनका जवाब संबंधित वार्ड सदस्य को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आजकल यह चलन हो गया है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए तुरन्त मीडिया को बुला लिया जाए क्योंकि मीडिया द्वारा मामला उजागर करने पर समस्या का शीघ्र समाधान हो जाता है। इस पर माननीय विधायक द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नगर निगम, करनाल में प्राप्त होन वाली शिकायत के मीडिया में उजागर होने से पूर्व तीव्र गति से समाधान करवाना सुनिश्चित करें। माननीय विधायक द्वारा अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई कि वार्ड सदस्यों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को गम्भीरता से लेकर उन पर त्वरित कार्यवाही करना तथा विकास कार्य बारे प्राप्त हुई शिकायत का जवाब संबंधित कार्यकारी अभियंता शीघ्र देना सुनिश्चित करें।

बैठक की कार्यवाही निम्न प्रकार से है:–

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव न. 1:– पिछली बैठक दिनांक 07.08.2025 की कार्यवाही की पुष्टि करने हेतू। रिपोर्ट कार्यालय की नगर निगम करनाल की विशेष बैठक जो दिनांक 07.08.2025 को सम्पन्न हुई थी जिसकी कार्यवाही की प्रति सभी पार्षदगणों को भेजी जा चुकी है। अतः उपरोक्त बैठक की कार्यवाही पुष्टिकरण हेतू प्रस्तुत है।	पिछली बैठक दिनांक 07.08.2025 की कार्यवाही का पुष्टिकरण किया जाता है। पिछली बैठक में प्रत्येक वार्ड के विकास कार्यों पर बिन्दुवार चर्चा करके प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की जाए।
प्रस्ताव न. 02:– वार्ड सदस्यों के लिए नगर निगम, करनाल कार्यालय में कमरा आरक्षित करने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की माननीय सदन की हुई बैठक 26.06.2025 में प्रस्ताव क्रमांक 16 द्वारा निर्णय लिया गया था कि नगर निगम, करनाल कार्यालय में वार्ड सदस्यों हेतु अलग कमरा आरक्षित करवाया जाए तथा उसमें महिला शौचालय भी बनवाया जाए। माननीय सदन को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में कमरा न. 103 को निगम पार्षद कक्ष हेतु आरक्षित कर दिया गया है। अतः मामला माननीय सदन की सूचनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय सदन द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव न. 03:– वार्ड सदस्यों के लिए लैपटॉप खरीद करने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की नगर निगम, पानीपत द्वारा अपने सभी वार्ड सदस्यों को लैपटॉप खरीद करके उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी तर्ज पर नगर निगम, करनाल के सभी 23 वार्ड सदस्यों को लैपटॉप खरीद करके उपलब्ध करवाए जाने हैं। इस कार्य पर लगभग 15.00 लाख रूपये खर्च आने का अनुमान है। अतः प्रस्ताव माननीय सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	स्वीकार है।
प्रस्ताव न. 04:– सभी वार्ड सदस्यों के पार्षद आकस्मिक निधि फण्ड बारे। रिपोर्ट कार्यालय की निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक ***EE-III/DULB/2026/3181*** दिनांक 10.07.2026 द्वारा निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अधिवेशन में बजट घोषणा न. 74 के तहत निम्नलिखित घोषणा की गई थी:– ***"A Councillor Emergency Fund will be established for the immediate execution of essential works. Councillors of Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipal Committees will be empowered to approve essential public works worth Rs. 6 Lakh, Rs. 3 Lakh and Rs. 1.50 Lakh per year respectively"*** उपरोक्त आदेशों की अनुपालनार्थ नगर निगम, करनाल के सभी वार्ड सदस्यों के लिए 6.00 लाख रूपये वार्षिक आकस्मिक निधि फण्ड का प्रावधान उपरोक्त पत्र में वर्णित सभी दिशानिर्देशों की पूर्ण पालना के तहत किया जाना उचित होगा। अतः प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।	स्वीकार है।
प्रस्ताव न. 05:– आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार की अर्बन चैलेंज फण्ड योजना के तहत कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रोजैक्ट्स बारे। रिपोर्ट कार्यालय की आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अर्बन चैलेंज फण्ड योजना के तहत कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रोजैक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं जिनमें से छः प्रोजैक्ट्स पहले तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार का शेयर 25 प्रतिशत, हरियाणा सरकार/शहरी स्थानीय निकाय विभाग का शेयर 25 प्रतिशत अनुदान राशी के रूप में किश्तों में प्रदान किया जाएगा व शेष 50 प्रतिशत शेयर की व्यवस्था कार्यालय द्वारा स्वयं अपने संसाधनों अथवा प्राईवेट, पब्लिक, पार्टनरशिप (***PPP***) अथवा लोन के माध्यम से की जाएगी। सरकार की इस योजना के तहत इन विकास कार्यों को कार्यान्वित करने का समय 2026–31 तक निर्धारित किया गया है। करनाल शहर की जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व नगर निगम, करनाल को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए विभिन्न प्रोजेक्टस तैयार किए गए हैं उनमें से जो प्रोजैक्ट्स ***Advance Stage*** पर हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार से है:–	स्वीकार है।

Sr. No.	Name of Project	Land Details
1	Multi level parking at Subzi Mandi, Karnal.	MCK Land
2	Commercial Complex at Old Municipal Corporation Office Space, Karnal.	MCK Land
3	Hybrid solar and flower wind energy plant at Indri escape, Karnal for generation of (15 + 5) 20 MW clean energy.	MCK Land
4	i. Canal based water treatment plant (50 to 100 MLD) at village Saidpura, Karnal. ii. Canal based water treatment plant (50 to 100 MLD) at village Phoosgarh, near Gaushala, Karnal.	MCK Land MCK Land

Scanned with CamScanner

5	Compressed biogas plant near STP at village Phoosgarh, Karnal (for generation of approx. 12 TPD-CBG).	MCK Land	
6	Setting up of EV charging stations at different locations, the Karnal city.	MCK/HSVP Land	
7	Setting up of Sports Museum/Amusement park at ITI Chowk, Karnal (8.60 Acre Land)	PWD (B&R) Land	

उपरोक्त सभी प्रोजैक्ट्स तैयार करके स्वीकृति हेतु सरकार को प्रेषित किए जाने हैं। अतः मामला माननीय सदन की सूचनार्थ एवं सहमति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव न. 06:– शक्ति कॉलोनी में स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित किए गए व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स में स्थित दुकानों की ई–ऑक्शन करने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की श्री अशोक कुमार मीणा, भा.प्र.से., माननीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं अध्यक्ष करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अध्यक्षता में करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की प्रथम बैठक दिनांक 01.07.2026 को हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि स्मार्ट सिटी द्वारा शक्ति कॉलोनी में विकसित किए गए व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स में स्थित दुकानों की बोली शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा बनाए गए ई–ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से की जाए। अतः प्रस्ताव माननीय सदन की सूचनार्थ प्रस्तुत है।	स्वीकार है।
प्रस्ताव न. 07:– किसी एक सार्वजनिक स्थल का नाम श्री अटल बिहारी वाजपयी जी के नाम पर रखने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की माननीय शहरी स्थानीय निकाय विभाग मन्त्री द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक ***EE&III/DULB/2026/3083*** दिनांक 02.07.2026 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी शहरी स्थानीय निकाय अपने ऐरिया में किसी एक सार्वजनिक स्थल का नाम श्री अटल बिहारी वाजपयी जी के नाम पर रखा जाए तथा इस संबंध में सदन से प्रस्ताव भी पारित करवाया जाए। इस बारे माननीय सदन को अवगत करवाया जाता है कि श्री मनोहर लाल, माननीय केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा ऊर्जा मन्त्री, भारत सरकार द्वारा करनाल शहर में बन रहे सिंगल पिलर फ्लाईओवर का नाम **"अटल सेतु"** रखे जाने की अनुसंशा की गई है। अतः इस संबंध में प्रस्ताव पारित पारित करने के लिए मामला माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत है।	स्वीकार है।
प्रस्ताव न. 08:– पुराने बस स्टैण्ड के सामने शहीद सैनिकों के परिवारों हेतू आरक्षित दो दुकानों की रिपेयर करवाकर इन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में रखने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की पुराने बस स्टैण्ड के सामने नगर निगम, करनाल की दो दुकानें क्रमशः दुकान न. 07 ***(MCKR-269)*** व 08 ***(MCKR-270)*** स्थित हैं। यह दोनों दुकानें कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों हेतू आरक्षित रखी गई थीं लेकिन आज तक इन दुकानों की अलॉटमैन्ट बारे किसी भी शहीद के परिवार की ओर से कोई आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण यह दुकानें काफी समय से खाली पड़ी हुई हैं तथा कार्यालय को राजस्व की हानि हो रही है। इसके अतिरिक्त लम्बे समय से खाली पड़ी होने के कारण इन दुकानों की स्थिति कण्डम हो चुकी है जिनका पुनर्निर्माण करवाया जाना आवश्यक है। इसलिए यह उचित रहेगा कि इन दोनों दुकानों का पुनर्निर्माण करवाया जाए तथा इन्हें रिजर्व श्रेणी से हटाकर	विचार–विमर्श उपरांत प्रस्ताव को लम्बित किया जाता है। इन दुकानों का अभी पुनर्निर्माण ना करवाया जाए अपितु इस संबंध में जिला सैनिक बोर्ड, करनाल से पत्र लिखकर अनुरोध किया जाए कि यदि कारगिल युद्ध में शहीद के परिवार का कोई सदस्य इन

Scanned with CamScanner

सामान्य वर्ग श्रेणी में रखकर ई–ऑक्शन के माध्यम से किराये पर दिया जाए अथवा बेच दिया जाए। अतः प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं निर्णय लेने हेतू प्रस्तुत है।	दुकानों को लेने का इच्छुक है तो वह इस कार्यालय में आवेदन करें। इसके अतिरिक्त नगर निगम, करनाल इस संबंध में अपने स्तर पर अखबार में भी सूचना प्रकाशित करवाए।
प्रस्ताव न. 09:– मेरठ रोड़ पर स्थित कचरा ट्रांस्फर स्टेशन को शिफ्ट करने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की मेरठ रोड़ पर स्थित कचरा ट्रांस्फर स्टेशन को शिफ्ट करने का मामला माननीय सदन की हुई बैठक दिनांक 07.08.2025 में विचार–विमर्श एवं निर्णय लेने हेतू प्रस्तुत किया गया था जिसे पर आऊट ऑफ एजेन्डा प्रस्ताव क्रमांक 01 के तहत स्वीकार कर लिया गया था कि मेरठ रोड़ पर स्थित कचरा ट्रांस्फर स्टेशन को गाँव बुढाखेड़ा के नजदीक नगर निगम, करनाल की खाली पड़ी भूमि पर शिफ्ट किया जाए। इस मामले में राजस्व शाखा व विधि शाखा की रिपोर्ट ली गई थी जिन्होनें रिपोर्ट दी थी कि प्रस्तावित भूमि (कुल रकबा 02 एकड़–0 कनाल–13 मरला) बारे माननीय उच्च न्यायालय में एक सी.ओ.सी.पी. न. 1802 ऑफ 2019–राजू व अन्य बनाम राजीव मैहता व अन्य लम्बित है जिसमें सुनवाई की आगामी तिथि 15.10.2026 लगी हुई है। इस केस में कोई भी बन्दी/स्थगन आदेश नहीं है। इस संबंध में कार्यालय की सहायक जिला न्यायवादी द्वारा भी कानूनी राय दी गई है कि उपरोक्त सी.ओ.सी.पी. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2012 को गाँव बुढाखेड़ा में महात्मा गाँधी ग्रामीण योजना के तहत 100–100 वर्गगज के प्लॉटों का कब्जा देने व प्लॉटों को किसी भी प्रकार से बाधा से मुक्त रखे जाने के आदेश पारित किए थे। उपरोक्त अनुसार जैसाकि चर्चाधीन भूमि का केस अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस स्थान पर कचरा स्टेशन को शिफ्ट किया जाना उचित नहीं है। इस बारे कार्यालय की सफाई शाखा एवं भूमि शाखा द्वारा निम्नलिखित तीन स्थानों पर कचरा ट्रांस्फर स्टेशन शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–	इस मामले में पर्याप्त विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि महापौर महोदया, आयुक्त महोदया व संबंधित वार्ड सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तीनों स्थलों का संयुक्त रूप से मौका मुआयना किया जाए तथा मौका मुआयना उपरांत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

क्रमांक	प्रस्तावित स्थान की लोकेशन	विवरण
1	शिव, कॉलोनी एस.टी.पी. के साथ खाली पड़ी लगभग 1500 वर्गगज भूमि।	नगर निगम, करनाल के जोन न. 03 के तहत राम नगर, प्रेम नगर, शिव कॉलोनी अर्थात् लाईन पार ऐरिया के सभी कचरा वाहन वहां पार्क किए जाऐंगे।
2	बाबा मस्तगिर अखाड़ा के साथ खाली पड़ी लगभग 1500 वर्गगज भूमि।	नगर निगम, करनाल के जोन न. 02 के तहत शहर के मध्य ऐरिया के सभी कचरा वाहन वहां पार्क किए जाऐंगे।
3	गाँव बुढाखेड़ा में दनियालपुर ड्रेन के साथ खाली पड़ी लगभग 1500 वर्गगज भूमि।	नगर निगम, करनाल के जोन न. 01 व 04 के तहत आने वाले ऐरिया के सभी कचरा वाहन वहां पार्क किए जाऐंगे।

Scanned with CamScanner

इस बारे कार्यालय की प्रस्तावना यह है कि नगर निगम, करनाल ऐरिया में एक ही स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं है जिससे एक ही स्थान पर कचरा ट्रांस्फर स्टेशन स्थापित किया जा सके तथा जोनवाईज़ कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे तीन विभिन्न स्थानों पर किया जाना उचित होगा। अतः प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	
प्रस्ताव न. 10:– वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (*CAQM*) द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना बारे। रिपोर्ट कार्यालय की वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (*CAQM*) द्वारा ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या 97 में निर्देश जारी किए गए हैं कि नगर निगम, करनाल ऐरिया में तीन स्थानों पर ***C&D*** वेस्ट, के सैकेण्ड्री प्वॉईंट स्थापित किए जाएं। इस सैकेण्ड्री प्वॉईंट्स के लिए न्यूनतम आधा एकड़ भूमि की आवश्कता है। इसलिए नगर निगम, करनाल से संबंधित भूमि बारे तीन स्थानों क्रमशः गाँव फूसगढ़, गाँव सिरसी मौजा दहा व एस.टी.पी. शिव कॉलोनी के साथ खाली पड़ी भूमि का चयन किया गया है। उपरोक्त तीनों स्थानों पर नगर निगम, करनाल द्वारा बाऊण्ड्री वॉल करवाई जाएगी, साईन बोर्ड लगाए जाऐंगे अर्थात् सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हुए आमजन को सूचित किया जाएगा कि ***C&D*** वेस्ट इस स्थान पर डालना सुनिश्चित करें। अतः प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं निर्णय लेने हेतू प्रस्तुत है।	स्वीकार है। प्रस्ताव में वर्णित तीन स्थलों के साथ–साथ कर्ण विहार कॉलोनी में पड़ने वाले खसरा न. 7786 पर भी एक और सैकेन्ड्री प्वॉईंट बनाया जाए।
प्रस्ताव न. 11:– मिल्खा सिंह स्टेडियम की बुकिंग करवाने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की मिल्खा सिंह स्टेडियम जोकि स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया था तथा बाद में इसे नगर निगम, करनाल को सौंप दिया गया था। इस स्टेडियम में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। इस स्टेडियम में खेलों का आयोजन करने हेतू किराये पर देकर राजस्व अर्जित किया जा सकता है। यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा अन्य सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग हेतू राशी निर्धारित की हुई है। इसलिए मिल्खा सिंह स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन करने के लिए बुकिंग राशी निर्धारित की जानी उचित है ताकि कार्यालय को राजस्व की प्राप्ति हो सके। अतः प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं निर्णय लेने हेतू प्रस्तुत है।	स्वीकार है। मिल्खा सिंह स्टेडियम की बुकिंग की राशी निर्धारित करने हेतु संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, करनाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाता है जिसके सदस्य सचिव (एक्स्पर्ट) व भूमि अधीक्षक होंगे। गठित कमेटी के निर्णय अनुसार मामले में आगामी कार्यवाही की जाए।
प्रस्ताव न. 12:– "स्व. अश्वनी चोपड़ा चौंक" का निर्माण करने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की महापौर महोदया, नगर निगम, करनाल द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि श्री मनोहर लाल, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मन्त्री, भारत सरकार के मार्गदर्शन में आई.टी.आई. चौंक से अग्रसैन चौंक की तरफ आने वाले कुन्जपुरा रोड़ के कोने में बाईं ओर स्थित कोने पर पत्रकारिता में कलम के धनी एवं पूर्व सांसद स्व. अश्वनी चोपड़ा चौंक का निर्माण सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर करवाया जाना उचित होगा। इस संबंध में प्रचार–प्रसार के माध्यम से माननीय सदस्यगणों द्वारा अपने सहमति भी दे दी गई थी। अतः प्रस्ताव घटनोपरांत स्वीकृति प्रदान करने हेतू प्रस्तुत है।	स्वीकार है।
प्रस्ताव न. 13:– सैक्टर–7 में कर्णेश्वर महादेव मन्दिर के पीछे वाली सड़क का नामकरण "लैफ्टिनैन्ट विनय नरवाल" के नाम पर करने बारे रिपोर्ट कार्यालय की लैफ्टिनैन्ट विनय नरवाल जोकि मूलरूप से करनाल	स्वीकार है।

Scanned with CamScanner

शहर के निवासी थे तथा दिनांक 22.04.2025 को जम्मू कशमीर स्थित पहलगाम में हुए आंतकी हमले में गोली लगने के कारण उनका देहान्त हो गया था। उनके इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इसलिए यह उचित रहेगा कि लैफ्टिनैन्ट विनय नरवाल जी की याद में करनाल शहर की किसी एक सड़क का नामकरण कर दिया जाए ताकि उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जा सके। यह भी सूचित किया जाता है कि सैक्टर–7 में स्थित कर्णेश्वर महादेव मन्दिर के पीछे वाली सड़क पर लैफ्टिनैन्ट विनय नरवाल जी का निवास स्थान भी है। इस संबंध में प्रचार–प्रसार के माध्यम से माननीय सदस्यगणों द्वारा अपने सहमति भी दे दी गई थी। अतः प्रस्ताव घटनोपरांत स्वीकृति प्रदान करने हेतू प्रस्तुत है।	
प्रस्ताव न. 14:– वार्ड कमेटी के गठन की पुष्टि करने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के कार्यालय के पत्र क्रमांक ***SNT/DULB/2025/SBM-451*** दिनांक 19.02.2026 द्वारा प्राप्त हिदायतों के मध्यनजर हरियाणा म्युनिसिपल सिटीजन पार्टिसिपेशन एक्ट, 2008 में वर्णित प्रावधानों के तहत महापौर महोदया, नगर निगम, करनाल के आदेश दिनांक 26.02.2026 के तहत नगर निगम, करनाल के सभी 20 वार्डों की वार्ड कमेटी का गठन किया जा चुका है तथा सभी वार्ड कमेटियों की संयुक्त परिचय बैठक व ट्रेनिंग सैशन भी दिनांक 10.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे होटल प्रेम प्लाजा, रेलवे रोड़, करनाल में करवा दी गई है। वार्ड कमेटी के गठन के पुष्टिकरण हेतु प्रचार–प्रसार के माध्यम से माननीय सदस्यगणों द्वारा अपने सहमति भी दे दी गई थी। अतः प्रस्ताव घटनोपरांत स्वीकृति प्रदान करने हेतू प्रस्तुत है।	प्रचार–प्रसार के माध्यम से पारित किए प्रस्ताव अनुसार वार्ड कमेटी के गठन की पुष्टि की जाती है। निदेशालय से वार्ड कमेटी के सदस्यों को बदलने की प्रक्रिया बारे पत्राचार किया जाए।
प्रस्ताव न. 15:– सनानत धर्म बाल विद्या मन्दिर, राम नगर, करनाल के तहत आने वाली भूमि स्कूल को बेचने बारे। रिपोर्ट कार्यालय की कार्यालय की सनानत धर्म बाल विद्या मन्दिर, राम नगर, करनाल के तहत आने वाली कुल 1203.10 वर्गमीटर भूमि वर्ष 1973 में 10 वर्षों की समयावधि के लिए लीज़ पर दी गई थी लेकिन किन्हीं कारणों से लीज़ आगे नहीं बढ़ाई जा सकी थी। उसके उपरांत स्कूल द्वारा लीज़ बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार यह भूमि खसरा न. 385 में पड़ती है जिसका कुल रकबा 04 बीघा–13 बीसवा है तथा हरियाणा सरकार खानाकास्त में **"मकबूजा लोक निर्माण विभाग मड हाऊस कॉलोनी"** दर्ज थी। उसके उपरांत यह भूमि लोक निर्माण विभाग से खरीदकर स्कूल को लीज़ पर देने हेतू सरकार द्वारा इस कार्यालय को 3,08,46,984/– रूपये की अनुदान राशी प्रदान की गई थी जिसमें से केवल भूमि की राशी 2,87,81,761/– रूपये दिनांक 24.03.2025 को लोक निर्माण विभाग के खाते में ट्रांस्फर कर दी गई थी। इस संबंध में हुई एक बैठक के दौरान तहसीलदार (बिक्री), करनाल द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करके सूचित किया गया कि तत्कालीन पंजाब सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.12.1955 के तहत सभी मडहट कॉलानियां संबंधित नगर पालिकाओं को ट्रांस्फर हो चुकी हैं जिसकी बाद में विभिन्न स्तर पर पुष्टि भी की गई है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार, करनाल ने भी दिनांक 14.10.2025 को उक्त भूमि का इन्तकाल नगर निगम, करनाल के नाम दर्ज व मन्जूर कर दिया है। जैसाकि उक्त भूमि की मलकियत नगर निगम, करनाल की है, इसलिए 2,87,81,761/– रूपये की राशी वापिस प्राप्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही यह राशी वापिस प्राप्त कर ली जाएगी। अब स्कूल द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह आर्थिक रूप से सक्षम हैं, इसलिए उक्त भूमि उन्हें बेच दी जाए। इस संबंध में अवगत करवाया जाता है कि सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2021 को जारी की गई	स्वीकार है। केस स्वीकृति हेतु सरकार को प्रेषित किया जाए।

Scanned with CamScanner

मुख्यमन्त्री शहरी स्थानीय स्वामित्व योजना की पॉलिसी के बिन्दू न. 09 में वर्णित प्रावधानों के तहत यदि कोई किरायेदारी/लीज़धारक किसी भूमि पर 50 वर्ष या इससे अधिक समय से काबिज है तो उसे वर्तमान कलैक्टर रेटों में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी लेकिन स्कूल प्रबन्धन द्वारा इस भूमि की खरीद हेतू स्वामित्व पोर्टल पर आवेदन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2026 हेतू निर्धारित किए गए कलैक्टर रेटों में शैक्षणिक संस्थानों को भूमि अलॉट करने हेतू निम्नलिखित प्रावधान है:–

"सभी शैक्षणिक संस्थाओं, राईस शैलर का रकबा 4 कनाल से कम होने पर भूमि स्थानान्तरण बैयनामा, हिब्बानामा आदि पर उसी क्षेत्र के निवासिय कलैक्टर रेट का दोगुणा रेट तथा 4 कनाल से ज्यादा पर उस क्षेत्र की कृषि भूमि के कलैक्टर रेट का प्रति एकड़ डबल रेट लगाना होगा।"

उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर यदि 1441.00 वर्गगज स्कूल को अलॉट की जाती है तो भूमि की कुल कीमत की गणना निम्न अनुसार होगी:–

CALCULATION OF 1441.00 SQ. YDS. LAND AS PER SWAMITVA POLICY DATED 01.06.2021 & COLLECTOR RATES 2026		
1	Residential Collector Rates of Ram Nagar area for the year 2026.	Rs. 27,830/- Per Sq. Yds.
2	As per provision of Collector Rates, the double residential retes will be levied on educational institute site.	Rs. 55,660/- Per Sq. Yds.
3	Total Land	1441.00 Sq. Yds.
4	Rebate as per Swamitva Policy dated 01.06.2021 i.e. 50% = 55660 ÷ 2 = Rs. 27,830/-	Rs. 27,830/-
5	**Total Amount of Land (27830 x 1441)**	**Rs. 4,01,03,030/-**
	One time composition fees of Rs. 30,000/-	Rs. 30,000/-
	Total Amount of Land	**Rs. 4,01,33,030/-**

जैसाकि स्कूल प्रबन्धन द्वारा स्कूल के तहत आने वाली भूमि की लीज़ अवधि बढ़ाने की अपेक्षा भूमि उन्हें बेचने का अनुरोध किया गया है तथा सरकार की पॉलिसी दिनांक 01.06.2021 व कलैक्टर रेट, 2026 अनुसार भूमि की कुल कीमत ***4,01,33,030/-*** रूपये बनती है। प्रचार–प्रसार के माध्यम से इस संबंध में माननीय सदस्यगणों द्वारा अपने सहमति भी दे दी गई थी लेकिन ऑडिट विभाग द्वारा इस मामले में आपत्ति जताई गई है कि यह मामला पॉलिसी दिनांक 01.06.2021 के प्रावधानों अनुसार 50 प्रतिशत छूट के तहत कवर नहीं होता है। इसलिए इस मामले में ***8,02,06,060/-*** रूपये रूपये की राशी चार्ज की जानी बनती है। अतः प्रचार–प्रसार के माध्यम से पारित किए गए प्रस्ताव में संशोधन सनातन धर्म बाल विद्या मन्दिर, राम नगर, करनाल के तहत आने वाली भूमि कुल 1441.00 वर्गगज को स्कूल को बेचने हेतु ***8,02,06,060/-*** रूपये की राशी डिमाण्ड (***Subject to final decision and any relaxation as may be deemed fit by the DULB which is the Competent Authority***) किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत ताकि इसे स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार को प्रेषित किया जा सके।

प्रस्ताव न. 16:– नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के समर्थन में सराहना व धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने बारे।

स्वीकार है।

रिपोर्ट कार्यालय की भारत सरकार द्वारा संसद में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" बिल प्रस्तुत किया गया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत

Scanned with CamScanner

आरक्षण प्रदान करके उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना था। यह अधिनियम देश में महिलाओं के सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्तवपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता था। हालांकि इस बिल को विपक्ष के विरोध के कारण पारित नहीं करवाया जा सका लेकिन भारत सरकार द्वारा किए गए इस ऐतिहासिक प्रयास व पहल की उस समय सराहना की जानी उचित थी जिसके लिए प्रचार–प्रसार के माध्यम से माननीय सदस्यगणों द्वारा अपने सहमति भी दे दी गई थी। अतः प्रस्ताव घटनोपरांत स्वीकृति प्रदान करने हेतू प्रस्तुत है।	
प्रस्ताव न. 17:– विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करवाने बारे। वार्ड न. 01 रिपोर्ट कार्यालय की श्रीमती सुदेश रानी, सदस्य वार्ड न. 01 ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. तत्काली मुख्यमन्त्री श्री मनोहर लाल द्वारा जनसंवाद के दौरान दिए गए आदेशों की अनुपालना में बसन्त विहार की खुली नालियों व नालों में पाईप लाईन बिछवाई जाए। 2. वार्ड न. 01 में वर्तमान में कोई लाईब्रेरी नहीं है, इसलिए बसन्त विहार में लाईब्रेरी का निर्माण करवाया जाए। 3. जी.टी. रोड़ से गाँव कैलाश को जाने वाली सड़क का विस्तारीकरण करवाकर इसे और अधिक सुदृढ़ करवाया जाए तथा इस सड़क का सौन्दर्यीकरण करवाया जाए। 4. गाँव झंझाड़ी में स्थित डेहा बस्ती के नजदीक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाया जाए। 5. गाँव उचानी में स्थित सामुदायिक केन्द्र की स्पेशल रिपेयर करवाई जाए। 6. गाँव बलड़ी में रोड़ चौपाल का निर्माण करवाया जाए। 7. गाँव कैलाश में सड़कों का निर्माण करवाया जाए। वार्ड न. 03 रिपोर्ट कार्यालय की श्री परमजीत सिंह, सदस्य वार्ड न. 03 ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. गाँव फूसगढ़ में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की बस्ती टिकड़ा कॉलोनी की गलियां बनवाई जाएं तथा सीवरेज लाईन डलवाई जाए। 2. विकास नगर की गली न. 02 व 09 को बनवाया जाए। 3. राजीव पुरम् कॉलोनी की गली न. 03 को बनवाया जाए। 4. दुर्गा कॉलोनी की गली न. 04, राणा मैडिकल स्टोर से आनन्द भोग डेयरी तक की गली बनवाई जाए तथा दुर्गा कॉलोनी में द्वार का निर्माण करवाया जाए। 5. सरस्वती विहार में गलियों में बरसाती पानी की लाईन डलवाई जाए। 6. गाँव फूसगढ़ व टिकड़ा कॉलोनी में पीने के पानी का ट्यूबवैल खराब है। इसलिए इन कॉलोनियों में नए ट्यूबवैल लगवाए जाएं।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए। स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

वार्ड न. 04 रिपोर्ट कार्यालय की श्री भूपेन्द्र नोतना, सदस्य वार्ड न. 04 ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. निर्मल विहार की सभी गलियों में लगी इन्टरलॉकिंग टाईलें कई स्थानों से बैठ गई हैं। इसलिए इन सभी गलियों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। 2. कर्ण विहार की गली न. 01, 06, 09, 16, 22 व इसके साथ लगती गलियों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। 3. पृथ्वी विहार व एम.सी. कॉलानी की गलियों का भी पुनर्निर्माण करवाया जाए। 4. निर्मल विहार, कर्ण विहार, पृथ्वी विहार, एस.सी. कॉलोनी व विकास कॉलोनी के सभी चौंकों पर 15 नम्बर मिनी हाई मास्ट लाईटें लगवाई जाएं। 5. कर्ण विहार की मुख्य सड़क (मुख्य प्रवेश से गली न. 03 तक व गली न. 14 से नहर तक) का निर्माण रिवैन्यू रिकॉर्ड अनुसार पैमाईश करवाकर करवाया जाए। 6. वार्ड के मुख्य रास्तों व उपरोक्त वर्णित कॉलोनियों में लगभग 100 बैंच रखवाए जाएं। 7. कर्ण विहार स्थित शहीद भगत सिंह नगर के पास अवैध रूप से काटी जा रही एक कॉलोनी पर उचित कार्यवाही की जाए तथा आमजन को सचेत करने के लिए मौका पर बोर्ड लगवाए जाएं। 8. निर्मल विहार ग्रीन बैल्ट की पैमाईशन उपरांत पता चला है कि यह सड़क 25 फीट के स्थान पर 55 फीट की है। इसलिए गेट का निर्माण 25 फीट के स्थान पर 55 फीट का करवाया जाए। 9. कर्ण विहार, पृथ्वी विहार व भगत सिंह नगर के क्षेत्र अन–अप्रव क्षेत्र में आते हैं उन्हें भी शीघ्र अप्रूव्ड करवाया जाए। 10. कर्ण विहार, पृथ्वी विहार व विकास कॉलोनी की सीवरेज लाईनों में काफी सिल्ट जमा है। इसलिए इन सीवरेज लाईनों की सफाई करवाई जाए। 11. कर्ण विहार योगा शैड में महिलाएं योग करती हैं किन्तु चारदीवारी के कारण महिलाएं योग के दौरान असहज महसूस करती हैं। इसलिए योगा शैड के चारों ओर तीन फीट दीवार का निर्माण करवाया जाए तथा शैड में पंखे व लाईटें लगवाई जाएं। 12. विकास कॉलोनी की गली न. 11 में गली के निवासियों द्वारा सीवरेज लाईन डलवाई गई थी तथा उस समय यह ऐरिया अन–अपूव्ड था। अब यह ऐरिया अप्रूव होने उपरांत नगर निगम, करनाल द्वारा इस ऐरिया में जो सीवरेज लाईन डाली गई है उसका लैवल पुरानी पाईप लाईन से मैच नहीं होता जिसके कारण इस ऐरिया में पानी ठहरने की समस्या रहती है। इसलिए इस समस्या का उचित समाधान करवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
वार्ड न. 05 रिपोर्ट कार्यालय की श्री सुभाष चन्द, सदस्य वार्ड न. 05 ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. महालक्ष्मी पाईप की फैक्ट्री के सामने स्थित रिवैन्यू रास्ते की स्थिति काफी खराब है जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी होती है। इसलिए इस रास्ते को शीघ्र पक्का करवाया जाए। 2. गाँव कम्बोपुरा में दलाल फार्म से ऑक्सी पार्क तक जो रास्ता जाता है उसमें स्टोर्म वॉटर पाईप डलवाई जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

3. गोपी वाली गामड़ी का रास्ता काफी तंग और खस्ता हालत में है, इसलिए इस रास्ते को शीघ्र चौड़ा और पक्का करवाया जाए। 4. गाँव कम्बोपुरा में रविदास मन्दिर के पीछे नगर निगम, करनाल की लगभग 3000 वर्गगज भूमि खाली पड़ी हुई जिस पर आसपास के लोगों द्वारा डाले गए कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसलिए इस भूमि की चारदीवारी करवाकर इसमें डिस्पैन्सरी व सी.एस.सी. सैन्टर खुलवाया जाए। 5. सूरज नगर में पानी की टंकी के साथ नगर निगम, करनाल की लगभग 5–6 हजार वर्गगज भूमि खाली पड़ी हुई है जिसमें पानी भरा रहता है तथा इस पानी में जहरीले जीव–जन्तु पनपने लगे हैं। इसलिए इस भूमि की चारदीवारी करवाई जाए। 6. अशोक विहार कॉलोनी में खेड़े के साथ खाली पड़ी भूमि में लोगों के बैठने हेतु एक हॉल का निर्माण करवाया जाए।	
<u>वार्ड न. 06</u> रिपोर्ट कार्यालय की श्री अंकित कुमार, सदस्य वार्ड न. 06 ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. बांसो गेट, इन्दिरा कॉलोनी, खेड़ा कॉलोनी व श्याम नगर में सीवरेज व पीने के पानी की पाईप लाईन डलवाई जाए तथा सड़कों को भी सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए। 2. ब्रहमानन्द चौंक पर प्रतिदिन हादसे होते रहते हैं, इसलिए इस चौंक पर 04 स्लिप वे बनवाए जाएं। 3. जुण्डला गेट पानी की टंकी से ब्रहमानन्द चौंक तक की सड़क का अभी हाल ही में निर्माण किया गया गया लेकिन इस सड़क के दोनों ओर पानी भर जाता है। इसलिए इस सड़क के दोनों ओर ऊंची टाईलें लगवाई जाएं तथा सड़क का सौन्दर्यीकरण करवाया जाए। 4. गाँव दहा की मुख्य सड़क पर लगे सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लॉक काफी ऊंचे–नीचे हो गए हैं जिनके कारण इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। इसलिए इस सड़क को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए। 5. वार्ड के विभिन्न स्थानों पर शीघ्रातिशीघ्र बैंच रखवाए जाएं।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
<u>वार्ड न. 07</u> रिपोर्ट कार्यालय की श्री जोगिन्द्र शर्मा, सदस्य वार्ड न. 07 ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. मोती नगर, प्रीतम नगर, कलन्दरी गेट (पीर वाली गली) व सुभाष गेट की गलियों को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए तथा बूस्टर लगवाए जाएं। 2. मायापुरी रोड़ व प्रीतम नगर में नई पेयजल पाईप लाईन डलवाई जाए। 3. पुरानी सब्जी मण्डी के आसपास के क्षेत्र की सभी गलियों को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए। 4. गोविन्द नगर में स्थित बत्तरा फर्नीचर के साथ वाली को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए। 5. पुरानी सुविधा वाली गली को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

वार्ड न. 08 रिपोर्ट कार्यालय की श्री संकल्प भंडारी, सदस्य वार्ड न. 08 ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. सैक्टर–6 व 14 की मार्किटों की आवश्यकतानुसार मुरम्मत एवं रखरखाव करवाया जाए। इसके अतिरिक्त मार्किटों में नई स्टेनलैस स्टील रेलिंग तथा फैन्सी डैकोरेटिव लाईटें लगवाई जाएं। 2. सैक्टर–6 चौंक से साईं मन्दिर तक तथा सैक्टर–6 के डिवाईडरों पर फैन्सी स्टील ग्रिल लगवाई जाए तथा पूरी मार्ग पर फैन्सी हाई मास्ट अथवा बड़े पोल वाली एल.ई.डी. डैकोरेटिव लाईटें लगवाई जाएं। 3. वार्ड के सभी पार्कों में आकर्षक व आधुनिक फैन्सी प्रवेश द्वार बनवाए जाएं। 4. सैक्टर–14 में मकान न. 1 से 100 तक की सड़क अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इसलिए इस सड़क की शीघ्र मुरम्मत करवाई जाए। 5. सैक्टर–4 व 5 को ***HSVP*** विभाग से नगर निगम, करनाल में हस्तांतरित करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद आज तक ननगर निगम, करनाल द्वारा इन सैक्टरों को टेकओवर नहीं किया गया है। इसलिए इन सैक्टरों को शीघ्र नगर निगम, करनाल के अधीन लिया जाए। 6. वार्ड 08 में कई स्थानों पर बरसाती पानी की निकासी हेतु पाईप लाईन नहीं है। इसलिए आवश्यतानुसार बरसाती पानी की लाईन डलवाई जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
वार्ड न. 09 रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 09 की सदस्य श्रीमती सुजाता अरोड़ा ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास कार्य करवाए जाएं:– 1. सैक्टर–9 स्थित सामुदायिक केन्द्र का सौन्दर्यीकरण करवाया जाए। 2. सैक्टर–8 व सैक्टर–8 पार्ट–2 की सड़क की रिपेयर करवाकर इसे और सुदृढ़ करवाया जाए। 3. वार्ड की आन्तरिक सड़कों व पैदल पथ में टूटी हुई इन्टरलॉकिंग टाईलों की रिपेयर/ रिप्लेसमैन्ट करवाई जाए। 4. वार्ड के सभी सैक्टरों मे स्थित पार्कों में जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कार्य जैसे वॉकिंग ट्रैक की रिपेयर, लैण्डस्केपिंग, पौधारोपण व आमजन की आवश्यतानुसार सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। 5. सैक्टर–7 व 9 में आई.पी.एस. सिस्टम लगवाया जाए। 6. बेसहारा कुत्तों व बन्दरों को पकड़ने अथवा नियंत्रित करने बारे शीघ्र कार्यवाही की जाए। 7. मुख्य सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटवाया जाए तथा इनके लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए ताकि सड़कों पर जाम व हादसों की स्थिति उत्पन्न ना हो।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
वार्ड न. 10 रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 10 की सदस्य कुमारी आशया कुमार ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास कार्य करवाए जाएं:– 1. सैक्टर–13, महार्षि दयानन्द चौंक से हरियाणा नर्सिंग होम तक की मुख्य सड़क के दोनों ओर लगी इन्टरलॉकिंग टाईलों की स्थिति काफी खराब है तथा कई स्थानों से टाईलें उखड़ी हुई हैं। इसलिए फुटपाथ में लगी टाईलों को उखाड़कर पुनः लगवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए। क्रमांक 01 पर दर्ज कार्य में ड्रेनेज पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी

Scanned with CamScanner

2. सैक्टर–13, सैक्टर–13 एक्स्टैंशन व सैक्टर–13 हाऊसिंग बोर्ड तथा ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्कों में बोलार्ड व फैन्सी लाईटें लगवाई जाएं।	जोड़ा जाए।
<u>वार्ड न. 11</u> रिपोर्ट कार्यालय की श्री विशेष वर्मा, मनोनीत सदस्य ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि वार्ड न. 11 में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. वार्ड न. 11 में जलभराव की समस्य के स्थाई समाधान हेतु स्टोर्म वॉटर लाईन का शीघ्र टैण्डर किया जाए। 2. वार्ड न. 11 की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार हेतु रोड़ रिपेयर/रि–कारपेटिंग का टैण्डर लगाया जाए। 3. वार्ड न. 11 के सभी पार्कों में बाऊण्ड्री वॉल के नवीनीकरण, आकर्षक पेन्टिंग, पार्क के प्रवेश द्वारों पर गेट लैम्प, वॉकिंग ट्रैक का निर्माण/मुरम्मत व ट्रैक के साथ–साथ आकर्षक स्टैण्डिंग लाईटें लगवाने के कार्य करवाए जाएं। 4. वार्ड न. 11 के क्षतिग्रस्त स्पीड ब्रेकरों की मुरम्मत करवाई जाए तथा आवश्यतानुसार स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएं।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
<u>वार्ड न. 12</u> रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 12 के सदस्य श्री मोनिक गर्ग ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. चौरासिया पान भण्डार से मोंगा नर्सिंग होम तक (दयाल सिंह कॉलेज के सामने वाली सड़क) को सीमेन्ट कंक्रीट से बनाया जाए। 2. वार्ड के विभिन्न पार्कों में फैन्सी लाईटें लगवाई जाएं। 3. चार चमन व पुराने चार चमन में टूटी हुई सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। 4. जीत राम ढाबा मार्किट में बरसाती नाले का पुनर्निर्माण करवाया जाए। 5. बस स्टैण्ड के सामने स्थित कर्ण स्वीट्स को जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
<u>वार्ड न. 14</u> रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 14 के सदस्य श्री अमृत लाल जोशी ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. वार्ड न. 14 की विभिन्न मार्किटों में दुकानदारों द्वारा सड़कों पर अनाधिकृत रूप से कब्जे किए हुए हैं क्योंकि अनाधिकृत कब्जे के कारण सफाई व्यवस्था काफी चरमराई हुई है। 2. रमेश नगर में स्थित संत रविदास मन्दिर के साथ पार्कनुमा भूमि पड़ी हुई है जिसके आसपास घनी आबादी है। आसपास के ऐरिया के बच्चों व बुजुर्गों के खेलने व बैठने के लिए कोई पार्क उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस भूमि पर पार्क बनाया जाए तथा पार्क में जिम, झूले लगवाए जाएं तथा बैठने के लिए शैड का निर्माण करवाया जाए। 3. लोध मौहल्ला की गली में सीवरेज व पीने के पानी की लाईन डाली जाए तथा इस सड़क को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

4. वार्ड में तीन सुलभ शौचालय हैं जोकि कण्डम अवस्था में हैं जिनमें से एक शौचालय नगर निगम, करनाल द्वारा तोड़ भी दिया गया है। इसलिए इन सभी शौचालयों को तोड़कर इनके स्थान पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाए। 5. वार्ड में बिजली की केबल, इन्टरनैट की तारों का जाल बिछा हुआ है जिनमें से अधिकांश केबल प्रयोग में नहीं हैं। इसलिए अनुपयोगी तारों को शीघ्र हटवाया जाए।	
<u>वार्ड न. 15</u> रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 15 की सदस्य श्रीमती प्रियंका देवी ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास कार्य करवाए जाएं:– 1. नॉवल्टी रोड़ पर स्थित डिवाईडर का सौन्दर्यीकरण करवाया जाए तथा फैन्सी लाईटें लगवाई जाएं। 2. वार्ड में नागरिक सुविधा केन्द्र व सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाया जाए। 3. बांसो गेट से जाटों गेट तक तथा कर्ण गेट से सचदेवा स्वीट्स तक नाले का निर्माण करवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
<u>वार्ड न. 16</u> रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 16 की सदस्य श्रीमती रानी ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास कार्य करवाए जाएं:– 1. मण्डी रोड़, सिन्दूरिया पैलेस के सामने से कन्हैया सिटी तक टूटी हुई सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाए। 2. ओल्ड बहादुर चन्द कॉलोनी की 04 गलियों को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए। 3. शिवाजी कॉलोनी की गलियों में पानी के पानी की लाईन तथा सीवरेज लाईन डलवाई जाए। 4. आनन्द विहार कॉलोनी की 05 सड़कों में पीने के पानी की लाईन तथा सीवरेज लाईन डलवाई जाए व इन सड़कों को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए। 5. ओल्ड बहादुर चन्द कॉलोनी की निम्नलिखित छः गलियों का पुनर्निर्माण करवाया जाए तथा इनकी नालियां भी बनवाई जाएं:– 1. श्रीमती मोनिका मदान के घर से श्री गुलशन कुमार के घर तक की गली 2. श्री गुलशन कुमार के घर से श्री श्याम सिंह के घर तक की गली 3. श्री ईश्वर सिंह, मकान न. 1692/8 के घर से श्री रामलाल के घर तक की गली 4. श्री रामलाल के घर से श्री बाबू राम के घर तक की गली 5. शिव मन्दिर से श्री श्याम सिंह के घर तक की गली 6. शिव मन्दिर से श्री चन्दर के घर तक की गली	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
<u>वार्ड न. 17</u> रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 17 की सदस्य श्रीमती ममता देवी ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड की गलियां खस्ता व जर्जर हालत में हैं। इसलिए निम्नलिखित गलियों को आर.सी.सी. से बनवाया जाए:– 1. विश्वकर्मा मन्दिर के सामने वाली गलियां। 2. नवीन प्रजापति वाली गली। 3. एडवोकेट नरेन्द्र जट्टू वाली गली। 4. बी.एस. मॉडर्न स्कूल के सामने वाली गली व उसकी लिंक गलियां।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

5. सन्धू कॉलोनी वाली गली व उसकी लिंक गलियां।	
<u>वार्ड न. 18</u> रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 18 के सदस्य श्री हरजीत सिंह ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. न्यू प्रेम नगर में ट्यूबवैल न. 05 के नजदीक स्थित पार्क का नाम **"शहीद भगत सिंह पार्क"** रखा जाए तथा पार्क के प्रवेश द्वार पर इसी नाम का आकर्षक साईन बोर्ड लगवाया जाए। 2. ऐकता कॉलोनी में स्थित प्रवेश द्वार पर **"ऐकता कॉलोनी गुरू नानक द्वार"** नाम से द्वार का निर्माण करवाया जाए। 3. वार्ड के प्रमुख स्थानों व कॉलोनियों में पाँच फीट की ऊंचाई पर आकर्षक साईन बोर्ड लगवाए जाएं ताकि क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान हो सके। 4. वार्ड न. 18 में पार्कों की सफाई हेतु दिया गया ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए क्योंकि ठेकेदार द्वारा किया गया सफाई कार्य सन्तोषजनक नहीं है। 5. ***8 MLD*** परियोजना के ठेकेदार श्री अजय गोयल को माननीय सदन की आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से बुलाया जाए ताकि परियोजना कार्य की प्रगति व वार्ड न. 18 की समस्याओं पर चर्चा की जा सके।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
<u>वार्ड न. 19</u> रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 19 के सदस्य श्री राजेश कुमार ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. दविन्द्र गाँधी के घर के सामने से बसंती हलवाई तक की सड़क पर 60 एम.एम. इन्टरलॉकिंग टाईलें लगवाई जाएं। 2. नरेश मन्जी के घर के साथ वाली वाली गली को काछवा रोड़ तक आर. सी.सी. से बनवाया जाए। 3. पुलिस थाना के सामने स्थित गली को ऊपर उठाने के लिए टाईलों को पुनः उखाड़कर लगवाया जाए। 4. गाँधी नगर में खेड़ा बाबा से शिव पुरी, काछवा रोड़ की टाईलों को पुनः उखाड़कर लगवाया जाए। 5. वार्ड में विभिन्न स्थानों पर 50 बैन्च रखवाए जाएं। 6. पुलिस थाना से सीवरेज डिस्पोज़ल, कैथल रोड़ तक नाले के साथ इन्टरलॉकिंग टाईलें बिछवाई जाएं तथा सीवरेज लाईन डलवाई जाए। 7. वार्ड की विभिन्न छः गलियों में 100–100 फीट सीवरेज लाईन डलवाई जाए। 8. वार्ड में विभिन्न स्थानों पर चार हाईमास्ट लाईटें लगवाई जाएं। 9. काछवा रोड़ पर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के अन्दर नया ट्यूबवैल लगवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
<u>वार्ड न. 20</u> रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 20 के सदस्य श्री राम सुधीर ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. गाँव सैदपुरा में गुरू रविदास मन्दिर से गाँव के शमशान तक के नाले की रिपेयर करवाकर फ्रेमिंग ढक्कन लगवाए जाएं और इन्टरलॉकिंग टाइलों से पुनः सड़क का निर्माण करवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

2. गाँव जरीफा वीरान् निर्मल कुटिया से गाँव धौलगढ़ अंडर पास रेलवे पुल तक जर्जर हो चुकी सड़क को पुनः सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए व दोनों सड़क के दोनों ओर टो वॉल लगवाई जाए।
3. गुरूनानकपुरा पार्ट–2 व 3 कॉलोनी नियमित हो चुकी हैं, इसलिए इन कॉलोनियों में सीवरेज व पीने के पानी की लाईनें बिछवाई जाएं, इन्टरलॉकिंग टाईलों से सड़कों का निर्माण करवाया जाए तथा पिंगली चौंक से गुरूनानकपुरा पार्ट–2 तक व कॉलोनी में स्ट्रीट लाईटें लगवाई जाएं।
4. गाँव उचाना में सीवरेज लाईन डलवाकर एस.टी.पी. का निर्माण करवाया जाए।
5. गाँव उचाना में पिछड़ा वर्ग के लिए चौपाल का निर्माण करवाया जाए तथा गोरखनाथ भवन में अधूरे पड़े निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जाए।
6. पश्चिमी यमुना नहर पर बने पार्क का नाम श्री कृष्ण योगा पार्क रखा जाए, पार्क में ***20' x 60'*** के योगा शैड व स्मार्ट शौचालय का निर्माण करवाया जाए।

अतः प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं निर्णय लेने हेतू प्रस्तुत है।

आऊट ऑफ एजेन्डा महापौर महोदया की स्वीकृति से

प्रस्ताव न. 01:– विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करवाने बारे।

<u>वार्ड न. 02</u>

वार्ड न. रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 02 की सदस्य श्रीमती बेबी ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:–

1. बागपती की जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाए तथा बरसाती पानी की निकासी वाली पाईप लाईन की मुरम्मत तथा आवश्यकतानुसार सुधार कार्य करवाए जाएं।
2. पालम कॉलोनी की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाए तथा जहां पर सड़कों की स्थिति काफी खराब है उनका सड़कों का निर्माण करवाया जाए।
3. गाँव बुढाखेड़ा में ओपन जिम लगवाई जाएं तथा सड़कों के किनारें इन्टरलॉकिंग टाईलें लगवाकर सौन्दर्यीकरण करवाया जाए।
4. छोटी मंगलपुर व आर्यपुरम् में जिन सड़कों की स्थिति काफी खराब है उनका निर्माण करवाया जाए।
5. गाँव मंगलपुर से पिज्ज़ा हट को जाने वाली सड़क का शीघ्र निर्माण करवाया जाए।
6. गाँव मंगलपुर में नगर निगम, करनाल की खाली पड़ी भूमि पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाया जाए।
7. सदानन्द कॉलोनी मे विकास कार्यों का टैण्डर काफी समय पूर्व हो चुका है लेकिन कार्य अभी तक आरम्भ नहीं करवाया गया है। इसलिए विकास कार्यों को शीघ्र आरम्भ करवाया जाए।
8. शक्तिपुरम्, एल.आई.सी. कॉलोनी, रन्जीत एन्क्लेव व पालम कॉलोनी के कुछ अनाधिकृत हिस्से अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। इसलिए जनहित के मध्यनजर इन छूटे हुए क्षेत्रों को भी नियमित करवाया जाए।

स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

वार्ड न. 11 1. वार्ड में नई पार्किंग स्पेस बनवाए जाएं, सड़कों का विस्तारीकरण करवाया जाए तथा अनाधिकृत कब्जों को हटवाया जाए। 2. वार्ड की हरियाली, स्ट्रीट लाईटों, इलैक्ट्रिसिटी, संचार हेतु बिछाई गई केबलों तथा अंडरग्राऊंड सेवाओं को मैन्टेन किया जाए। 3. सीवरेज व बरसाती पानी की लाईनों के सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। 4. वार्ड की टूटी हुई इन्टरलॉकिंग टाईलों, पेवर ब्लॉक, फुटपाथ, पार्किंग स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचों की रिपेयर करवाकर इनमें और अधिक सुधार किया जाए। 5. वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए तथा स्वच्छता सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
वार्ड न. 13 वार्ड न. रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 13 के सदस्य श्री ईश कुमार गुलाटी ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. वकीलपुरा स्थित रविदास धर्मशाला के अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। 2. संत शिरोमणि श्री गुरू रविदास जाटव मंडल के अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करवाया जाए। 3. आजाद नगर की सड़कों की स्थिति काफी खराब है, इसलिए इन सड़कों को सीमेन्ट कंक्रीट से बनवाया जाए। 4. वार्ड की नालियों की रिपेयर हेतु एक टैण्डर लगाया जाए। 5. नॉवल्टी रोड़ चौंक से हांसी रोड़ चौंक तक की सड़क की रि–कारपेटिंग की जाए। 6. कर्ण ताल पार्क की स्थिति काफी खराब है, इसलिए इस पार्क का सौन्दर्यीकरण करवाया जाए। 7. वकीलपुरा में स्थित ओड़ धर्मशाला के अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करवाया जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।
वार्ड न. 18 वार्ड न. रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड न. 18 के सदस्य श्री हरजीत सिंह ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं:– 1. भाट कॉलोनी में नई सीवरेज लाईन एवं पेयजन की नई पाईप लाईन बिछाई जाए। 2. ज्योति नगर, गली न. 02 में आर.सी.सी. सड़क का निर्माण करवाया जाए। 3. शांति नगर, गली न. 01 से 03, मान कॉलोनी, ज्योति नगर में गली न. 01 के कुछ ऐरिया में नई सीवरेज लाईन डलवाई जाए। इस पूरे क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर लम्बी नई सीवरेज लाईन डालने की आवश्यकता है। 4. प्रेम नगर स्थित सामुदायिक केन्द्र की बुकिंग हेतु नगर निगम, करनाल द्वारा 15,000/– रूपये की राशी चार्ज की जा रही है जबकि अन्य वार्डों के सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग राशी कम है। इसलिए इस सामुदायिक केन्द्र की बुकिंग राशी भी अन्य सामुदायिक केन्द्रों की भांति कम की जाए।	स्वीकार है। कार्यों को फीज़िब्लिटी के आधार पर करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

5. वार्ड में किसी भी विकास कार्य आरम्भ करने से पूर्व वार्ड सदस्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाए। अतः प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत हैं।	
प्रस्ताव न. 02:– कॉलोनियों के नियमितीकरण बारे। उपस्थित वार्ड सदस्यों द्वारा कॉलोनियों के नियमितीकरण के मामले पर चर्चा की गई। मामले में व्यापक विचार–विमर्श उपरांत महापौर महोदया द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों व मापदण्डों की प्रति उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। इसके अतिरिक्त कॉलोनियों के नियमितीकरण बारे नगर निगम, करनाल द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाए।	इस मामले में निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर बिल्डिंग शाखा व सभी वार्ड सदस्यों की एक वर्कशॉप का आयोजन करवाया जाए तथा वर्कशाप में उन्हें पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।
प्रस्ताव न. 03:– वार्डों में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने बारे। उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों द्वारा मांग की गई कि बढ़ते क्राईम के मध्यनजर वार्डों में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाए जाएं। महाप्रबन्धक, समार्ट सिटी लिमिटेड, करनाल द्वारा माननीय सदन को अवगत करवाया गया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, करनाल से कैमरा लगवाने हेतु आवश्यक स्थलों की सूची तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है क्योंकि जो भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाए जाऐंगे उनका कन्ट्रोल ***ICCC*** कार्यालय में होगा। जैसे ही पुलिस विभाग से वांछित जानकारी प्राप्त होगी तदानुसार मामले में आगामी कर दी जाएगी।	इस मामले में निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता इस मामले में त्वरित कार्यवाही करके शीघ्र आगामी कार्यवाही करें।
प्रस्ताव न. 04:– पार्कों के रखरखाव व मैन्टेनैन्स बारे। उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों द्वारा माननीय सदन को अवगत करवाया गया कि उनके वार्डों के तहत आने वाले पार्कों की स्थिति काफी खराब है। इस पर कार्यकारी अभियंता (बागवानी) द्वारा सूचित किया गया कि पार्कों को देखरेख व मैन्टेनैन्स कार्य विभिनन ***RWA*** को दिया हुआ है।	इस मामले में निर्णय लिया गया कि सभी पार्कों में एक–एक बोर्ड लगवाया जाए जिस पर संबंधित ठेकेदार का नाम व मोबाईल नम्बर, ***RWA*** का नाम व उसके पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर आदि अंकित करवाया जाए ताकि यदि किसी पार्क में कोई समस्या है जो स्थानीय निवासी सीधे तौर पर संबंधित ठेकेदार अथवा ***RWA*** के पदाधिकारियों से सम्पर्क करके समस्या का समाधान करवा सके।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव न. 05:– सफाई कर्मचारियों के ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने बारे। उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों द्वारा माननीय सदन को अवगत करवाया गया कि उनके वार्ड में कार्यरत लगभग सभी सफाई कर्मचारी लंच ब्रेक के बाद अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाते हैं जिसके कारण सफाई का कार्य काफी बाधित होता है।	इस मामले में निर्देश दिए गए कि स्वच्छता अधिकारी व मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, करनाल इस बारे संज्ञान लेते हुए मौका पर औचक निरीक्षण करें व यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रस्तावना उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करें। प्रतिदिन मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी आयुक्त महोदया को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
प्रस्ताव न. 06:– स्ट्रीट लाईटों की समस्या बारे। उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों द्वारा ध्वनिमत से मांग की गई कि स्ट्रीट लाईटों की समस्या का समाधान करवाया जाए। इस पर संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा माननीय सदन को सूचित किया गया कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी द्वारा एच.पी.एल. कम्पनी से 3000 लाईटें लगवाने की स्वीकृति प्रदान की हुई है किन्तु बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त लाईटें केवल हाल ही नियतिम हुई कॉलोनियों में लगाई जाऐंगी।	आयुक्त महोदया द्वारा माननीय सदन को आश्वासन दिया कि इस संबंध में वह माननीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड से चर्चा करके अनुरोध करेंगी कि उपरोक्त रिजर्व लाईटों में से 1200–1500 लाईटें आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
प्रस्ताव न. 07:– डॉग शैल्टर निर्माण करने बारे। वार्ड न. 09 की सदस्य श्रीमती सुजाता अरोड़ा द्वारा माननीय को एक विडियो क्लिप दिखाई गई जिसमें एक खूंखार कुत्ते द्वारा मासूम बच्चे पर हमला किया गया था जिस पर माननीय सदन द्वारा गहरी चिन्ता व्यक्त की गई।	इस मामले में कार्यकारी अभियंता–1 को निर्देश दिए गए कि वह तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए

Scanned with CamScanner

	डॉग शैल्टर का निर्माण करवाना सुनिश्चित करें जिसमें खूंखार कुत्तों को पकड़कर रखा जा सके।

सचिव,
कृते आयुक्त,
नगर निगम, करनाल।

क्रमांक 5468–5495 /न0नि0क0 दिनांक 11/08/2026

उपरोक्त की एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. श्री मनोहर लाल, सासंद महोदय, करनाल एवं माननीय केन्द्रीय आवासीय, शहरी विकास एवं ऊर्जा मन्त्री, भारत सरकार मार्फत् प्रतिनिधि श्री कविन्द्र राणा।
2. श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक घरौण्ड़ा एवं माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा।
3. श्री जगमोहन आनन्द, विधायक, करनाल
4. श्री रामकुमार कश्यप, विधायक, हल्का इन्द्री
5. श्री भगवान दास कबीरपंथी, विधायक, नीलोखेड़ी
6. श्रीमती रेनू बाला गुप्ता, महापौर नगर निगम, करनाल
7. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, बेज़ न. 11 से 14, सैक्टर–4, पंचकूला।
8. आयुक्त, करनाल मण्डल, करनाल
9. उपायुक्त, करनाल
10. आयुक्त, नगर निगम, करनाल
11. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल।
12. संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, करनाल
13. उप निगमायुक्त, नगर निगम, करनाल
14. सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यगण, नगर निगम, करनाल।
15. महाप्रबन्धक, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, करनाल।
16. जिला नगर योजनाकार, करनाल।
17. जिला सिविल सर्जन, करनाल।
18. जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल।
19. जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल।
20. प्रोजैक्ट डायरैक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अम्बाला।
21. अधीक्षण अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल।
22. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), करनाल
23. कार्यकारी अभियंता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, करनाल।
24. अधीक्षण अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, करनाल।
25. अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग अभियांत्रिकी मण्डल न. 1 व 2, करनाल।
26. कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, सिंचाई विभाग, करनाल।
27. सचिव, मार्किट कमेटी, करनाल।
28. सभी शाखाध्यक्ष, नगर निगम, करनाल।

सचिव,
कृते आयुक्त,
नगर निगम, करनाल।
11/08/26

Scanned with CamScanner